26.3.2021 | पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु0न0	आर.सी.एम.एस.नं.	ता0 रजू
52/09	2009/00021	25.6.09

पीठासीन अधिकारीः—श्री देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

1. रामबाबू
2. गिर्राज
3. हेमराज — पुत्रान मांगीलाल
4. देवराज
5. श्रीमति कमला पत्नि मांगीलाल
6. ऊंकार लाल
7. देवीचरण — पुत्रान परसादी
8. विष्णुचंद
9. दीपक पुत्र हनुमान चरण
10. कुसुमदेवी पत्नि हनुमान चरण
11. मोहनलाल दत्तक पुत्र किसन लाल
12. भरोसी — पुत्रान मुरारी लाल
13. कल्याण
14. कल्याण हुकमचंद पुत्र नारायण

सभी जातियान ब्रह्मण निवासीयान सायनाथ खिडकिया तह0 करौली व जिला करौली राज0 — वादीगण

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र वशीर
2. शकीर
3. शहीद — पुत्रान अब्दुल अजीज
4. वहीद

सभी जाति मुसलमान निवासीयान वजीरपुर दरवाजा बाहर करौली तह0 व जिला करौली — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 26.3.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा इस कदर पेश किया है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खं0नं0 4861, 4862,4863 कुल किता 3 कुल रकवा 9 विस्वा बाके शहर करौली स्थित है जिसमें ख0नं0 4863 में वादीगण का हनुमान जी का मंदिर व शिवालय बना हुआ है तथा देवता [illegible] बने हुये है खातेदार परसादी फौत हो चुका है वादी 6 लगायत 8 उसके वारि[illegible] है [illegible] फौत हो चुका है। वादी नं0 9 व 10 उसके वारिसान है। [illegible] हो चुकी है, [illegible] उसका दत्तक पुत्र है, कलावती फौत हो चुकी है। जिसके [illegible] वादी नं0 12, 13 [illegible] उपरोक्त आराजीयात के बगल में प्रतिवादीगण की आराजीयात खसरा [illegible]911, 4911/9756, स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण भूखण्ड काटकर दीगर लोगो का विक्रय कर रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना—देना, ताल्लुक व सरोकार किसी प्रकार नही है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात की ओर हदवंदी को दीवाल बना रहे है। जिसके लिये उन्होने मौके पर दीवार निर्माण कार्य को मजदूर लगा दिये है। उनका इरादा वादीगण की भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10–12 फुट भूमि को अनाधिकार दवाते हुये दीवाल वनाना चाहते है जिसके लिये सुवह मौके पर मजदूरों को बता रहे थे वादीगण ने मना किया, कि यह जमीन हमारी है आप इस स्थान पर दीवाल निर्माण मत कराओ। इस पर प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये और कहने लगे कि हम तो तुम्हारे खाते की जमीन को दवाते हुये दीवाल निर्माण करायेंगे। तुम्हारी इच्छा हो जहां पुकारो, इस पर वादीगण ने कहा कि पटवारी कई वार आपकों सीमाज्ञान करा चुका है फिर भी आप नहीं मान रहे हो और कहा कि हम सीमाज्ञान को नही मानते है। प्रतिवादीगण ने आज दिनांक 25.06.2009 को ऐलानिया धमकी है कि हम तो तुम्हारी जमीन दवाकर दीवार बनायेंगे जबकि वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कराने का कोई हक प्रतिवादीगण को नही है। प्रतिवादीगण के इस कृत्य से हकूक वादीगण पर भारी कुठारा घात है इसलिये वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पावन्द करने के अधिकारी है। वादीगण ने दावा अन्दर म्याद पेश किया है। अंत में दावा वादीगण ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाव दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादपत्र आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है ना ही वादीगण का कोई कब्जा है। ख0नं0 4911, 4911/9756 प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होना स्वीकार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की 10–12 फीट भूमि अथवा 1 इंच भूमि को दवाते हुये कोई दीवार निर्माण की है ना ही ऐसा करने का इरादा रहा है। वादीगण ने महज रंजिश के आधार पर झूठी एवं काल्पनिक तथ्यों का अभिवचन करते हुये दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने दिनांक 25.06.2009 अथवा अन्य किसी दिवस को कोई धमकी वादीगण को नही दी है। वादीगण ने झूठा वाद कारण तैयार करने को उक्त तथ्य दावा दर्ज किये है। दावा वादीगण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार का नही है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही है भूमि गैर मुमकिन आवादी है। जिसमें मौके पर भी आबादी कायम है। तथा चारो ओर भी आवादी विकसित है। भौतिक एवं रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार विवादित भूमि आबादी भूमि होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार नही है। दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से वाद इसी आधार पर आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत् खारिज होने योग्य है विवादित भूमि का कोई डिस क्रिप्सन वाद पत्र में दर्ज नही किया है ना ही यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण भूमि में किस दिशा की ओर 10–12 फीट जमीन को दबाते हुये बाउन्ड्री निर्माण की धमकी दे रहे है। और उक्त दिशा की ओर भूमि की लंबाई चौडाई कितनी है दावा वादीगण वेज तथ्यो पर आधारित है प्रतिवादीगण की भूमि का वादीगण की भूमि से लेविल ऊँचा है। दोनो भूमियों का लेविल समान नही है वादीगण हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है इसी उद्देश्य से वादीगण ने प्रतिवादीगण पर दबाव बनाने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है। अन्त में दावा प्रस्तुत किया है। अन्त में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दु विरचित किये गये।

1. आया आराजीयात ख0नं0 4861, 4862, 4863 वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। —वादी
2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने का अधिकारी है। —वादी
3. अनुतोष

वाद विवाधक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गयी वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य में वादी pw1 कल्याण प्रसाद के स्थान लेखवध कराये है एवं दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2064 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2067 प्रदर्श–01 व नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–02 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण वन्द की गयी।

प्रतिवादगण द्वारा साक्ष्य को कई अवसर लेने के उपरान्त साक्ष्य पेश नही करने पर दिनाक 25.01.21 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गयी।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात स्थित कसव करौली वादीगण के खातेदारी व कटजे काश्त की है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है ख0नं0 4861 ता 4863 के बगल में प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि ख0नं0 4911,4911/9756 है दि0 25.06.09 को प्रतिवादगण वादीगण की भूमि में से 10–12 फीट भूमि को दबाते हुये पुख्ता दीवाल निर्माण करने को कारीगरों, मजदूरो को लेकर भूमि में नींव खुदवाना चालू किया वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण की भूमि मे निर्माण नही करने की कहा तो वह नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि हम तो निर्माण जबरन करेंगे चाहे जहां पुकारो। तब वादीगण ने यह दावा पेश किया है कि प्रतिवादीगण के इस कृत्य से हक–हकूक वादीगण पर आघात हैं इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के हकदार है। दावा वादीगण ड्रिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे की नही है भूमि में मकान तामीर हो चुके है भूमि गैर मुमकिन आवादी है वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण की भूमि का लेविल ऊँचा है वादीगण की 1 इंच भूमि को दबाकर दीवाल निर्माण नही की है ना ही दीवाल निर्माण करने का इरादा भूमि आबादी भूमि होने से न्यायालय हाजा को वाद सुनवाई का अधिकार नही है दावा प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण की जमीन को दवाने को झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। दावा वादीगण खारिज किया जावे।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी प्रदर्श–01 व साक्ष्य वादी pw1 कल्याण प्रसाद का बयान लेखवध कराया जिसमें उसने भूमि वादग्रस्त को वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होना एवं भूमि वादग्रस्त से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही होना कथन किया हैं और जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 प्रदर्श–01 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–02 की भूमि वादग्रस्त वादीगण की खातेदारी में होना एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि 10–12 को दबाकर जबरन पुख्ता दीवाल निर्माण कार्य के लिये नींव खुदवाना चालू करना और प्रतिवादीगण की इस अनाधिकृत कृत्स से हक–हकूक वादीगण का आघात होना कथन किया है जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साख्य प्रस्तुत नही की है वादीगण को विवाधक सं0 1 को अपने हक में साबित किया है अतः विवाधक संख्या 01 वादीगण के पद्वा में प्रतिवादीगण के विरूय तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक सं02 को साबित करने का भी भार वादीगण पर है वादीगण ने इस सम्बन्ध में वादी pw, कल्याणप्रसाद ने अपने मौखिक बयान में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को भूमि में 10–12 फीट भू[illegible] निर्माण के लिए नींव खुदाई कार्य मजदूरों से कराना व प्रतिवादीगण द्वारा एलानिया [illegible]रन निर्माण करने की धमकी देना कथन किया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण [illegible] किसी भी प्रकार की प्रस्तुत नही की है वादी[illegible] को अपने पक्ष में लम्बित किया है अतः सिवायचक खं0 2 वादीगण के पक्ष [illegible]गण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

विवाधक सं0 3 अनुतोष है विवाधक सं0 1 व 2 विवेचन से वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे की होना जमाबन्दी प्रदर्श–01 सम्वत् 2064 से 2067 व मौखिक साक्ष्य वादी pw1 कल्याण प्रसाद से सामिल है। यदि प्रतिवादीगण

Scanned with CamScanner

द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि निर्माण किया जाता है तो वादीगण के हक–हकूक प्रभावित होंगे जिससे वादीगण के हको पर आघात होना वादीगण को क्षति व नुकसान एवं असुविधा होगी वादीगण अपने खातेदारी भूमि से वंचित होंगे वादीगण प्रतिवादीगण के विरूध्द स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं दावा वादीगण डि्की किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूध्द प्रतिवादीगण डि्की किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से से शाश्वत काल तक पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी ख0नं0 4861, 4862, 4863 कुल किता 3 कुल रकबा 9 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 9 तह0 करौली में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नातो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे एवं वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार मदाखलत मजाहमत नही करें ना किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्ष कारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डि्की जारी हो।

निर्णय आज दि0 26.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner